INDIA NON JUDICIAL

५०० रू. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

8-7-08

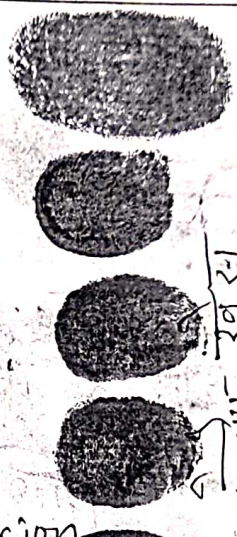

46 I pre.

23 I 'A' With the Permission By L.R.D.C. Simdega Vide case No 54|2008-09 order dt. 03.7.08.

MSbeey 8-7-08 8/7/08

1. लेख्यकारी :- श्री जोसेफ खेस्स पिता स्व0 सिमोन खेस्स जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 483 | 2008

आगाहम खेस पिता श्री जोसेफ खेस ग्राम खिजरी सामटोली, थाना व जिला सिमडेगा - 8/7/08

जोसेफ खेस्स 8/7/08

000 856/08

क्रमांक ... 1323 ... ता० 8/7/08

नाम श्री जोसेफ खेस्स ग्राम - खिजरी सामटोली

थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा

केवाला मूल्य 500/-

क्रमांक 1323 से 1328 तक।

Sabina Rajendra Singh

एस. आर. सिंह

मुद्रांक विक्रेता

सिमडेगा कोर्ट (सिमडेगा)

ला० नं० 4/05

500×3 = 1500
100×3 = 300
1800/-

जोसेफ खेस्स

8/7/08

जिला कोषागार कार्यालय सिमडेगा 20 MAY 2008

8-7-08 10 to 1

जोसेफ खेस्स

स्व० सिमोन खेस्स

खिजरी सामटोली सिमडेगा

खेती

8/7/08

--2--

(2) लेख्यधारिणी:- श्रीमति रेणु रंजीता कुल्लू पति श्री मोरिस केरकेट्टा, जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 484 | 2008

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मौबलिग पैंतालिस हजार रुपये अंके 45,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी सामटोली थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 113 (एक सौ तेरह) प्लॉट नं0 2490 (चौबीस सौ नब्बे) रकबा 0.05½ एकड़ (साढ़े पाँच डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश 5 फीट

दक्षिण:- जेम्स टोप्पो का घर हाता ।

पूरब :- सुनील का टांड़ ।

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश टांड़ ।

मालगुजारी 2 पैसा (दो पैसा) अलावे सेस सलाना ।

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण हेतु एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार की ।

8.7.08

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा सुखु उराँव के नाम से नाम दर्ज है । मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 54/2008-2009 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 3. 7. 08 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 772 दिनांक 02. 07. 2008 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरुरत पर काम आवे।

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन को बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

जोसेफ खेस

8/7/08

जोसेफ खेस 8/7/08

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो

अधिवक्ता 8.7.08

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन को खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Renu Ranjita Kullu

8/7/08

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो

अधिवक्ता

8.7.08

INDIA NON JUDICIAL

१०० रू. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
(प्रारूपकर्त्ता) 8·7·08
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 584 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
8-7-2008
मो० मक्सुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

जोसेफ खेस
8/7/08

जोसेफ खेस
8/7/08